शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

कंचन शुक्ला
शोधछात्रा
(शिक्षाशास्त्र विभाग)
नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

Received Jan. 16, 2018 Accepted Feb. 19, 2018

परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है परन्तु परिवर्तन वांछनीय एवं सही दिशा में हो, इसके लिए एक नियोजित संगठित तथा सुचिंतित योजना का होना आवश्यक है। शिक्षा जगत के ज्यादातर परिवर्तन नियोजित होते है, जिन्हें देश के या संसार के बुद्धिजीवी समाजशास्त्री राजनीतिज्ञा आदि आवश्यक भावी परिवर्तन लाने के लिए आयोजित करते हैं। ओटाबे की परिभाषा इसी परिपेक्ष्य को इंगित करती है कि –''शिक्षा सुचिंतित एवं नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें, व्यक्ति द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन लाया जाता है।''

संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि शिक्षा में जो भी परिवर्तन किए जाय वे अनुसंधान पर आधारित हो। किसी कल्पना अनुमान या मान्यता पर नहीं साथ ही उनमें निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए–

1. देश की भावी शिक्षा में उद्देश्यों का निरूपण स्पष्ट रूप से हो।
2. योजना की समग्र रूप से क्रियान्वित से पूर्व, थोड़े से क्षेत्र पर परीक्षण किया जाय।
3. योजना में उन सभी स्तर के व्यक्तियों का सहयोग लिया जाय जो योजना को लागू करेंगे।
4. योजना क्रियास्थिति में मितव्ययता उपलब्ध संसाधनों के अधिकाधिक प्रयोग, नियमित मूल्यांकन एवं संशोधन को भी स्थान दिया जाना चाहिए।

इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक नियोजित प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया।

स्वतंत्रता के छः दशक पश्चात् बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना ''बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009'' के रूप में साकार हुआ। इस अधिनियम के 1 अप्रैल, 2010 से लागू होने के पश्चात् 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानून अधिकार मिल गया है। अधिनियम की विशेष बात यह है कि गरीब परिवारों के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित है, के लए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। विधि आयोग ने निजी विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था।

यह विधेयक कैबिनेट द्वारा 2 जुलाई, 2009 को स्वीकृत किया गया, राज्य सभा ने इस बिल को 20 जुलाई, 2009 को व लोक सभा ने 4 अगस्त, 2009 को पारित किया तथा 26जुलाई, 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 अगस्त, 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया है।

संविधान निर्माता शिक्षा के अधिकार को मूल संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल करना चाहते थे, परन्तु भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ इसके अनुकूल नहीं थी अतः उन्होंने इसे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत स्थान दिया तथा इसे राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया, जोकि न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं थे। संसद ने इस अधिकार की आवश्यकता को समझते हुए 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा नया अनुच्छेद 21–क जोड़कर इसे मूल अधिकार के रूप में अध्याय–3 में शामिल कर प्रवर्तनीय बना दिया। उक्त अनुच्छेद–21क को संविधान में समाविष्ट करने के कारण अनुच्छेद 45 को भी संशोधित कर इस प्रकार किया गया– ''राज्य 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी बालकों के बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा'' इस प्रकार इस अनुच्छेद 45 में संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व तय किया गया। उक्त दोनों संशोधन के साथ ही भाग–4 मूल कर्त्तव्यों में भी संशोधन कर अनुच्छेद 51(क) (ट) जोड़ा गया, जसके अनुसार, ''6वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्त्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे नीति निदेशक तत्त्वों तथा मूल कर्त्तव्यों मे शामिल कर राज्य व अभिभावकों का कर्त्तव्य बनाया गया, किन्तु इन कर्त्तव्यों का पालन कराने के लिए कोई सकारात्मक साधन नहीं था अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, बच्चों के माता–पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लंधन करने पर अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

शिक्षा के अधिकार से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 21–क–86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात नया अनुच्छेद 21–क जोड़ा गया, जो यह उपबन्धित करता है कि ''राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करें 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबन्ध करेगा।''

अनुच्छेद 21: कुछ अवस्थाओं मं काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार– राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अशक्तता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।

अनुच्छेद–45– उपबन्धित करता है कि ''राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने क लिए उपबन्ध करेगा।''

अनुच्छेद 46–समाज के दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हतिों की अभिवृद्धि– राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषतया अनुिसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित जनजातियाँ की शिक्षा तथा अर्थसम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य प्रावधान–

- प्राथमिक शिक्षा में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा शामिल है।
- अनिवार्य शिक्षा– सरकार का दायित्व है कि–
  (प) 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाये।
  (पप) 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्रवेश, उपसिंिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित करें।
- **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार**

○ 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा एवं पूर्ण करने तक निःशुल्क और अ निवार्य शिक्षा का अधिकार होगा और इसके लिए उसे किसी प्रकार का शुल्क या अन्य खर्चे नहीं देने होंगे।

○ यदि 6 से 14 वर्ष आयु का कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा और ऐसे बच्चे 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे।

○ बच्चों को प्रवेश के दौरान एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में (एक राज्य में या बाहर) स्थानान्तरण का अधिकार होगा तथा ऐसे स्थानान्तरण चाहने वाले बच्चों को उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक तत्काल स्थानान्तरण पत्र जारी करेगा और इस प्रक्रिया मं किया गया विलम्ब अन्य विद्यालय में प्रवेश न देने के आधार नहीं माना जायेगा। स्थानानतरण पत्र जारी करने में विलम्ब करने वाला प्रधानाध्यापक या अन्य सम्बन्धित व्यक्ति जानबूझकर विलम्ब करने का दोषी पाये जाने पर उस पर लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायित्वाधीन होगा।

- **सरकार, स्थानीय प्राधिकारी व माता–पिता का कर्त्तव्य–**

○ इस अधिनियम के प्रावधानों के अग्रसरण में सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकारी के भीतर जहाँ विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम के प्रभावी होन के तीन वर्ष के भीतर अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करेंगे।

○ **केन्द्र सरकार–**(अ) शैक्षिक प्राधिकारी की मदद से एक राष्ट्रीय ढाँचा विकसित करेगी, जो निम्नलिखित पर ध्यान देगी–
  () बच्चों को बहुमुखी विकास
  (इ) संविधान में समाहित मूल्यों का विकास
  (ब) अधिकतम स्तर तक मानसिक व शारीरिक क्षमताओं का विकास
  (क) बालकों को बालक केन्द्रित व बालक मित्रवत् तरीके से गतिविधियों द्वारा सिखाना
  (म) निर्देशों के माध्यम जहाँ तक हो सके बच्चों की मातृभाषा में हो।
  (ि) बच्चों को भयमुक्त बनाना और अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने में मदद करना
  (ह) बच्चों को समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसे उसकी सामर्यि पर लागू करना।
  (ब) शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदण्ड विकसित कर लागू करना।
  (स) राज्य सरकारों को भवनों की क्षमता के लिए तकनीकी व संसाधनों द्वारा सहयोग उपलब्ध करवायेगी।

○ **समुचित राज्य सरकार–**

(क) प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलबध करवायेगी
(ख) नजदीक में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
(ग) यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग का कोई भी बालीक किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे।
(घ) ढाँचागत सुविधाएं, जिसमें भवन, अध्यापक स्टाफ और सीखने के साधन शामिल है, उपलब्ध करवायेगी।
(ड.) प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति तथा प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति को सुनिश्चित करेगी।
(च) गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चितता।
(छ) अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण शिक्षा की सुनिश्चितता।

○ **स्थानीय प्राधिकारी'**

(क) प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलबध करायेगी।
(ख) अपने क्षेत्राधिकार में 14 वर्ष तक के बच्चों का रिकार्ड रखेंगे।
(ग) नजदीकी विद्यालय की उपलबधता सुनिश्चित करेंगे।
(घ) अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति व समाप्ति को सुनिश्चित करेगे।
(ड.) शैक्षणिक कैलेण्डर निर्धारित करेगे।

○ **माता–पिता या संरक्षक का दायित्व–**

(क) अपने बच्चों को नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना
(ख) बच्चों को 6 वर्ष की ायु पूर्ण करने से पूर्व स्कूल पूर्व शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था सरकार करेगी।

- **विद्यालय व शिक्षक का दायित्व–**

○ अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विद्यालय–

(क) प्रवेश दिये गये सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देंगे।
(ख) जिससे 25 प्रतिशत कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे शामिल होंगे।

○ कोई भी विद्यालय या व्यक्ति बच्चों से प्रवेश के समय किसी प्रकार की कैपीटेशन फीस नही लेगा तथा बच्चे व उनके माता–पिता किसी प्रकार की स्क्रीनिंग प्रक्रिया के विषय में नहीं होगे।

इसका उल्लंघन करने पर कैपीटेशन फीस के दस गुना तक अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।
बच्चों का स्क्रीनिंग प्रक्रिया करने वाले को प्रथम उल्लंघन पर 25000 रूपये का अर्थदण्ड तथा पश्चातवर्ती प्रत्येक उल्लंघन पर 50000 रूपये तक के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा।

- किसी भी विद्यालय में प्रवेश दिये गये बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक दण्ड देकर परेशान नहीं किया जायेगा तथा जो कोई इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, उस पर उसके सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अधिनियम की कमियाँ व चुनाव–

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जायेगी, परन्तु अधिनियम के सूक्ष्म अवलोकन से इसकी सफलता पर संदेह है, संक्षेप में अधिनियम की कमियाँ व सुझाव निम्न प्रकार है–

1. बच्चों के अनुपात में कक्षा–कक्ष की कमी,जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों को दो या तीन पारियों तक कक्षाएँ चलायी जाती हैं। पुराने विद्यालयों के भवन भी जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते है। अतः इनकी संख्या बढ़ाने के साथ–साथ मौजूदा विद्यालय भवनों की मरम्मत भी करवाई जानी चाहिए।
2. आज भी कई गाँव ऐस हैं, जहाँ दूर–दूर तक विद्यालय नहीं है अतः ऐसे गाँवों का सर्वे कर विद्यालय बनाए जाए।
3. विद्यालय व आवासीय क्षेत्रों में दूरी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्ति में बाधक है इसके लिए दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएं तथा ऐसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा उचित परिवहन साधनों की भी व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए।
4. निजी विद्यालयों में जहाँ वातानुकूलित कक्षा–कक्ष, स्वीमिंग पूल तथा व्यायामशाला होती है, वहाँ सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। सरकारी विद्यालयों के बच्चे आज भी सूर्य की तपन व टपकती छत में पढ़ाई करते देखे जा सकते है। इससे इस शिक्षा जगत् के देश में दो भिन्न स्थितियाँ प्रकट होती हैं।
5. अधिनियम के अनुसार केवल कुछ पाठ्यपुस्तकों व पत्र–पत्रिकाओं से एक अच्छा पुस्तकालय बनता है, लेकिन इसमें आधुनिक शिक्षा की जरूरत के अनुसर कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि सुविधाएं भी आवश्यक हैं।
6. अधिनियम में कुल शिक्षक पदों में से 10 प्रतिशत से अधिक किसी भी अवस्था में खाली नहीं रखे जाएंगे। परन्तु 10 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली रहने का खामियाजा छात्रों को ही भुगतना पड़ेगा अर्थात् ऐसे में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात करना कोरी कल्पना है, क्योंकि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए योग्य व समर्पित शिक्षकों की जरूरत होती है।
7. पूर्व प्राथमिक शिक्षा को अधिनियम में स्थान नहीं दिया गया। जबकि देश के करोड़ों बच्चों को इस शिक्षा की आधारभूत जरूरत है।
8. देश में हजारों बच्चों को खतरनाक कार्यो और कारखानों में काम करना पड़ता है। अधिनियम में देश के भविष्य के इन बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
9. निजी व सरकारी विद्यालयों में भी इस अधिनियम में भेदभाव किया गया है निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए अधिनियम में बताए गए दिशा–निर्देशों को पूरा करने पर मान्यता मिलेगी, जबकि सरकारी विद्यालयों को बिना शर्त मान्यता स्वतः मिल जाएगी।
10. विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अधिनियम मौन है। विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलबध कराने सम्बन्धी अधिनियम में 'अक्षमता' की परिभाषा 'व्यक्ति अक्षमता अधिनियम 1995' के अनुसार मानी गई है, जो कि 'राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999' द्वारा बताई गई 'अक्षमता' की परिभाषा की शर्तों को पूरी नहीं करती।

सर्वाधिक चिंता का विषय यह है कि भारत में अनेक विषयों से सम्बन्धित उचित एवं श्रेष्ठ अधिनियम बनाए जाते हैं। लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं हो पाता। इस अधिनियम का क्रियान्वयन किस स्तर तक हो पाता है यह कहना कठिन है। समुचित दूरी पर विद्यालय की स्थापना एवं उसमें उचित अध्यापक और समुचित व्यवस्थाए उपलब्ध कराना ही एक कठिन कार्य है। इसके लिए अत्यधिक धन एवं अन्य संसाधनों की आवश्यका होगी। राज्य की सरकारें तदैव धनाभव का राग अलापती रहती है। यद्यपि धन के समबन्ध में केन्द्र सरकार 65 प्रतिशत खर्च उठाने को तैयार है, लेकिन फिर भी यह कैसे होगा? आदि प्रश्नों के उत्तर कहीं भी नहीं दिए गए हैं, आवश्यकता है अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समुचित समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर लागू करने की, जिससे इस अधिनियम का सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र आ सके।

निष्कर्ष–

य अधिनियम शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया सराहनीय कदम है शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करना सभी लोकतांत्रिक सरकारों का दायित्व है इसे पूरा करने में यह एक कदम है। अधिनियम के अधीन बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय व राज्य कमीशन को भी विस्तृत अधिकार व राज्य कमीशन को भी विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए है। बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी किसी भी शिकायत के लिए अधिकारितायुक्त स्थानीय प्राधिकरण की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे देश में बच्चों की इतनी संख्या को प्रभावित करने वाला यह एकमात्र अधिनियम है, निश्चित रूप से यह विधि का सार्थक साधन सिद्ध होगा, देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग प्राप्त करने के कारण यह अधिनियम अपने अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में अवश्य सफल होगा

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जॉन डी0 मिलेट (1946) योजना एवं प्रबन्धन, ईगल वुड क्लिफ एन0जे0 प्रेस्टिन हॉल, पृ0 14।
2. नायक, के0पी0 (1968) ''चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा बाम्बे निकेतन पब्लिकेशन्स, बाम्बे, पृ0 30–33
3. बुच, पी0एम0), भारतीय स्कूलों की दशा एवं अनुकूल क्षमता एक पृच्छा, पी0एच0डी0 (शिक्षाशास्त्र.) एम0एस0 यूनिवर्सिटी, बडौदा।
4. भट्ट, आर0ए0 (1970) चयनित माध्यमिक विद्यालयों के नवीकरण एवं परिवर्तन अपनाने, या नकराने का नैमात्तिक अध्ययन, एम0एड0 लघु शोध सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बड़ौदा
5. ओड़ ए0के0 (2017) शैक्षिक प्रशासन, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ0 227–230